बागपत पुलिस

थाना कोतवाली बागपत

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन शक्ति थाना कोतवाली बागपत की त्वरित कार्यवाही – गुमशुदा 02 बालिकाओं व 01 बालक को 04 घण्टे में किया सकुशल बरामद।

दिनांक 28.09.2025 को समय लगभग 14:00 बजे ममता देवी पत्नीनन्दू , निवासी कस्बा टटीरी, थाना कोतवाली बागपत द्वारामौखिक सूचना दी गई कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री मानसी घर से बिना बताए कहीं चली गई है।

👉 सूचना पर तत्काल मिशन शक्ति टीम व थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा सक्रियता से जाँच प्रारंभ की गई। जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मानसी अपनी सहेली परी पुत्री राकेश से मिलने गई थी, परी के घर जाकर जानकारी हुई की परी व उसका छोटा भाई कृष्णा भी घर से लापता है।

👉 मिशन शक्ति टीम द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए संभावित स्थलों पर सूक्ष्मता से जाँच की गई, जिसके फलस्वरूप मानसी (14 वर्ष), परी (14 वर्ष) एवं कृष्णा (12 वर्ष) को महज 04 घण्टे में सकुशल बरामद कर लिया गया।

👉 बरामद बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा परिजनों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं परामर्श भी प्रदान किये गये।

🔷 यह त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बागपत पुलिस

थाना कोतवाली बागपत

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

📍 थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत 📅

"दिनांक: 29/09/2025 को मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के अंतर्गत पति-पत्नी विवाद का सफल समाधान"

👉 आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के एक दंपत्ति — रितु पत्नी आशीष व आशीष पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों की काउंसलिंग मिशन शक्ति केन्द्र बागपत पर कराई गई।

👉 जिसमें दोनों ने भविष्य में एक साथ मिलकर रहने व आपसी सम्मान बनाए रखने की सहमति दी।

👉 पति आशीष द्वारा सशपथ रूप में यह कहा गया कि वह भविष्य में अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा और दोनों मिल-जुलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे।

👉 यह कार्यवाही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्योंकी दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

बागपत पुलिस

थाना सिंघावली अहीर

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

दिनांक 29.09.25 को आवेदिका पूनम देवी पत्नी अयोध्या सिंह हाल पता कस्बा छपरौली थाना छपरौली नें थाना सिंघावली अहीर की मिशन शक्ति केन्द्र पर उपस्थित आकर शिकायत दर्ज करायी कि उसके पति अयोध्या सिंह उसके साथ मारपीट करते है तथा उसके 02 वर्ष के बच्चे को अपने पास रख लिया है।

प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना सिंघावली अहीर की मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत तत्काल कार्यवाही करते हुए पीडिता के ससुराल वालो से वार्ता कर बच्चे को आवेदिका पूनम देवी के सुपुर्दगी किया गया। बच्चा व बच्चे की मां दोनों बहुत खुश हुए।

बागपत पुलिस

थाना खेकडा

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

दिनांक 27.09.25 को वादिया श्रीमती अलका पुत्री टी निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत नें थाना खेकडा मिशन शक्ति केन्द्र पर उपस्थित आकर अपने पति पंकज पुत्र अनिल निवासी कमलापुर थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायत की कि वादिया के ससुराल वाले वादिया को परेशान करते है। वादिया के पति व सास वादिया को छोडने की धमकी दी।

थाना खेकडा पुलिस की महिला शक्ति केन्द्र टीम द्वारा पीडिता की सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीडिता के पति पंकज को महिला शक्ति केन्द्र खेकडा पर बुलाया गया। पीडिता श्रीमती अलका व पति पंकज को एक साथ महिला शक्ति केन्द्र में बैठाकर दोनों की काउन्सलिग करते हुए दोनो पक्षों को समझाया गया। श्रीमती अलका व पंकज अपने बच्चों के भविष्य के बारे सोचते हुए साथ रहने को राजी हो गये तथा पीडिता श्रीमती अलका को उसके पति के साथ खुशी - खुशी रवाना किया गया।

बागपत पुलिस

थाना कोतवाली बागपत

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश पुलिस

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

मिशन शक्ति के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही 🚔

✨थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्तर्गत स्वाति पुत्री दीपक निवासी माता कॉलोनी कस्बा बागपत के घर से बिना बताए चले जाने की सूचना 27/09/2025 को प्राप्त हुई थी।

➡️ सूचना मिलते ही मिशन शक्ति थाना कोतवाली बागपत टीम तत्काल सक्रिय हुई और आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की।

➡️ पुलिस टीम की तत्परता एवं सक्रियता से 29/09/2025 को मात्र 48 घंटे में युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया।

➡️ बरामदगी के पश्चात् आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं।

👉 महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत यह कार्यवाही एक सराहनीय प्रयास है।

बागपत पुलिस की अपील है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस आपकी सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।

बागपत पुलिस

थाना रमाला

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश पुलिस

#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

मिशन शक्ति के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही

🚔 मिशन शक्ति टीम थाना रमाला, जनपद बागपत।

👉 मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पति-पत्नी विवाद में त्वरित कार्रवाई।

👉 आवेदिका सोनिया पत्नी अमरदीप उर्फ़ रूपक, निवासी ग्राम किरठल की शिकायत पर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई।

👉 ससुराल व मायके पक्ष की मौजूदगी में समस्याका समाधान कराया गया।

✍️ पति ने लिखित आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

✅ आपसी सहमति से दंपत्ति सकुशल घर भेजे गए।

👉 यह कार्यवाही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्योंकी दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत दिनांक 29.09.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस, एक रस्सी, एक छुरी, 01 दांव तथा 01 गाड़ी टाटा पंच बरामद I

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक रस्सी लगभग 9 मीटर, एक छुरी, 01 दांव तथा 01 गाड़ी टाटा पंच जिसका नं0 DL10CX3734 बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 537/25 धारा 630/25 धारा 109(1), 3(5) बी.एन.एस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल- आलावलपुर अण्डरपास थाना बड़ौत I दिनांक 28-09-2025 की रात्रि समय करीब 22.30 बजे)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.फाजिल पुत्र तालिब निवासी एन/102/34 शहजाद बाग इन्द्रलोक दिल्ली उम्र 27 वर्ष

2. मौ0 दानिश पुत्र चांद निवासी एन/102/82 शहजादबाग इन्द्रलोक 35 दिल्ली उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- एक रस्सी लगभग 9 मीटर।
- एक छुरी।
- 01 दांव
- 01 गाड़ी टाटा पंच जिसका नं0 DL10CX3734

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 सागर सिहँ थाना बड़ौत जनपद बागपत।
2. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार, थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3.उ0नि0 मौ0 आसिफ अली, थाना बड़ौत जनपद बागपत।
4. है0का0 कैलाश मलिक थाना बड़ौत जनपद बागपत।
5.का0 985 विपुल गर्ग के थाना बड़ौत जनपद बागपत।
6.का0 463 पवन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
7.का0 421 अंकुल कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
8.का0 647 प्रवीण भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी | दिनाँक - 29.09.25

थाना बालैनी पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- बादल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 298/22 धारा 482/414/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 300/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 04/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र

2-उ0नि0 श्री अनिल शर्मा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक 29.09.2025

थाना बिनौली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब तस्कर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 06 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब चंडीगढ मार्का बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान शराब तस्कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 06 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब चंडीगढ मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0-311/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी ग्राम नंगला बाडी थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 06 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ मार्का।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1- मु0अ0सं-311/25 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली बागपत।

2- मु0अ0सं0-885/23 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत बागपत।

3-- मु0अ0सं0-291/21 धारा 323/379/504/506 भादवि थाना बिनौली बागपत।

4- मु0अ0सं0-148/20 धारा 3/25 आयुद्व अधिनियम थाना बिनौली बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री पुलकित कुमार राहल थाना बिनौली जनपद बागपत।

2. उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3. है0का0 313 सत्यवीर सिंह थाना बिनौली बागपत।

4. है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली बागपत।